लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 164वीं बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2019 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः—

01.	श्री अनिल गर्ग	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री कौशल राज शर्मा	जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
04.	श्री राजेश पाण्डेय	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव—आवास।
05.	श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
06.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि—सचिव, वित्त विभाग; उ0प्र0 शासन।
07.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।
08.	श्री आर0के0 सिंह	अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	श्री दिनेश कुमार	अधीक्षण अभियन्ता अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
10.	श्री पी0के0 सिंह	संयुक्त निदेशक, पर्यटन प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन।
11	श्री एम0आई0 अंसारी	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।

अन्य उपस्थितिः—

12.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री आर0के0 सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री संजय कुमार पाण्डेय	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
18.	श्री आर0जी0 सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री चक्रेश जैन	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
20.	श्री पी0सी0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के औपचारिक स्वागत के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

<u>विषय संख्या : 1</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 07.05.2018 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

<u>निर्णय :</u> प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

<u>विषय संख्या : 2</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 07.05.2018 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>निर्णय :</u> प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गयेः—

- मोहान रोड योजना की निविदा के सम्बन्ध में बोर्ड नोट में पुरानी व अधूरी सूचना प्रस्तुत करने के कारण श्री पी0सी0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 को चेतावनी निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये कि भविष्य में बोर्ड के समक्ष पूर्ण तथ्यात्मक सूचना ही प्रस्तुत की जाये।
- प्राधिकरण के पुराने वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कराने के उपरान्त नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण न कर नये वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0 से स्थिति स्पष्ट किये जाने के निर्देश दिये गये व बोर्ड के समक्ष स्थिति अगली मीटिंग में रखी जाये।
- इसके अतिरिक्त अनार्जित भूमि खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190हे0 स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा के सापेक्ष भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि चूँकि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का विक्रय किया जा चुका है, अतः ऐसी स्थिति में भूमि के एवज में भूमि दिया जाना (Exchange) संभव नहीं है। इस तथ्य को मा0 अंकुश समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा चुका है और शासन को भी पत्र प्रेषित किया जा चुका है। चूँकि प्रकरण वर्तमान में भी मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन है, अतः मा0 अंकुश समिति का निर्णय प्राप्त

होने तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 3 सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ई में भूखण्ड संख्या–सीपी–13 बस टर्मिनल (यातायात एवं परिवहन) भू–उपयोग से व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ई में भूखण्ड सं0–सीपी–13 बस टर्मिनल (यातायात एवं परिवहन) भू–उपयोग से व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि प्रकरण की महत्ता व पब्लिक यूटिलिटी के दृष्टिगत चेयरमैन यू.पी.एस.आर.टी.सी. एवं प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आर.टी.सी को आपत्ति/अनापत्ति, 15 दिन की अवधि मे, प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा जाए कि उनका विभाग भूमि में बस टर्मिनल बनाने को तैयार है अथवा नहीं जिससे कि भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन पर विचार किया जा सके। तदोपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में भूखण्ड सं0–सीपी–13 बस टर्मिनल (यातायात एवं परिवहन) भू–उपयोग से व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 4 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय–योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन के अंगीकरण के क्रम में गत बोर्ड बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय–योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन का प्रस्ताव बेसिक एफ0ए0आर0 1.5 के अतिरिक्त एफ0ए0आर0 2.5 अनुमन्य किये जाने की दशा में अतिरिक्त एफ0ए0आर0 शुल्क आरोपित नहीं किया जाता है तो उक्त क्षेत्र की महायोजना स्तर की अवस्थापना सुविधाओं को प्राधिकरण स्तर पर विकसित किये जाने पर कुप्रभाव पड़ने के कारण दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 27.12.2016 पर पुनर्विचार किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को युक्ति–युक्त कारण सहित प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 5 सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड संख्या–एस0एस0ई0–87 से भवन/भूखण्ड सं0–एस0एस0ई0–163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी के निर्मित भवनों के एग्जीक्यूशन प्लान पर निर्णय लिया गया कि क्योंकि यह प्रकरण कामर्शियल से रेजिडेन्शियल लैण्ड यूज परिवर्तन की श्रेणी का है। अतः जन सामान्य से नियमानुसार आपत्ति–सुझाव प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष नियमानुसार विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 6 डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिसर से एकेडमिक ब्लॉक भवन के मध्य सब–वे अण्डर ग्राउण्ड) कनेक्ट करने के क्रम में गत बोर्ड बैठक में दिये गयें निर्देशों के सम्बन्ध में।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बोर्ड में दिये गये सुझाव पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 राम मनोहर लोहिया इंन्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिसर से एकेडमिक ब्लॉक भवन के मध्य सब–वे (अन्डर ग्राउण्ड) कनैक्ट करने के प्रस्ताव पर परीक्षण मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम से कराने के पश्चात पुनः प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से निर्णय हेतु सहमति दी गयी।

विषय संख्या : 7 भूखण्ड संख्या–4, ऐशबाग, ग्राम–करहेटा एवं दुगांव, जिला–लखनऊ के क्षेत्रफल 3.54 हे0 भूमि का भू–उपयोग 'औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत हल्के उद्योग' से 'आवासीय' में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त भूखण्ड सं0–4 ऐशबाग, ग्राम–करहेटा एवं दुगाँव, जिला–लखनऊ के क्षेत्रफल 3.54 हेक्टेयर भूमि का भू–उपयोग 'औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत हल्के उद्योग' से 'आवासीय' में परिवर्तन के प्रस्ताव पर शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 8 लखनऊ विकास प्राधिकरण की कबीर नगर देवपुर पारा समूह आवास योजना के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में आंशिक भू–उपयोग परिवर्तन के साथ संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : बोर्ड मीटिंग में यह संज्ञान में आया कि इस क्षेत्र में हाउसेस/आवासों हेतु अभी कोई डिमाण्ड (मांग) का सर्वे नहीं उपलब्ध है अतः सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की कबीर नगर देवपुर पारा समूह आवास योजना के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में आंशिक भू–उपयोग परिवर्तन के साथ संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि

उक्त योजना में निर्माणाधीन भवनों के विक्रय हेतु विज्ञापन निकाला जाय जिससे भवनों/आवासों की डिमाण्ड की जानकारी हो सके। यदि भवनों की डिमांड नहीं आती है, तो उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

<u>विषय संख्या : 9</u> गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–5 अन्तर्गत तहसील निर्माण से सम्बन्धित भूमि के पुर्ननियोजित पार्ट ले–आउट प्लान के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक विचारोपरान्त गोमती नगर विस्तार सेक्टर–5 में तहसील भूमि से सम्बन्धित पुनर्नियोजित पार्ट ले–आउट प्लान के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>विषय संख्या : 10</u> रेल लैण्ड डेवलपमेन्ट एथारिटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोमती नगर, लखनऊ के क्षेत्रफल 121571.88 वर्गमी0 (30.04 एकड़) पर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास एवं व्यावसायिक निर्माण (रिटेल शॉपिंग मॉल) भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक विचारोपरान्त रेल लैण्ड डेवलपमेन्ट एथारिटीए पूर्वोत्तर रेलवे, गोमती नगर, लखनऊ के क्षेत्रफल 1,21,571.88 वर्गमी0 (30.04 एकड़) पर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास एवं व्यावसायिक निर्माण (रिटेल शॉप्स) भवन मानचित्र प्रस्ताव में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया। ट्रैफिक की स्थिति नियंत्रण में रहे इस हेतु एस.पी. ट्रैफिक के भी विचार/कमेन्ट्स भी इस प्रकरण में प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाय।

<u>विषय संख्या : 11</u> चक गंजरिया फार्म परियोजना में स्थित आई0टी0 सिटी परियोजना हेतु मेसर्स एच0सी0एल0आई0टी0 सिटी प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक विचारोपरान्त चक गंजरिया फार्म परियोजना के अन्तर्गत मे0 एच0सी0एल0 आई0टी0 सिटी प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट एवं भवन मानचित्र पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>विषय संख्या : 12</u> लखनऊ महायोजना–2031 में रायबरेली रोड से सीतापुर रोड के मध्य दर्शित लखनऊ रिंग रोड के संरेखण के पुनर्निर्धारण तथा रिंग रोड एवं रिंग रोड के सन्निकट तथा अवमुक्त भूमि के भू–उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ महायोजना–2031 में दर्शित आउटर रिंग रोड के संरेखण को एन0एच0ए0आई0 के संरेखण के अनुरूप पुनर्निर्धारण तथा अवमुक्त भूमि के भू–उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं लखनऊ

विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से महायोजना के रिंग रोड से प्रभावित संरेखण एवं विद्यमान भू–उपयोग के सम्बन्ध में यथा सम्भव सभी प्रभावित भू–उपयोगों के समतुल्य भू–उपयोग का क्षेत्रफल रखते हुए संरेखण तैयार करायें तथा जहाँ कहीं भी भू–उपयोग के क्षेत्रफल में अन्तर है तो उसका कारण स्पष्ट किया जाय। यह कार्यवाही एक माह में पूर्ण की जाय।

<u>विषय संख्या : 13</u>

सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हेतु विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली 'कृषि' भू–उपयोग का "औद्योगिक" भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट के क्रम में शासनादेश अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

तथा

औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू–आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपालन (एफ0ए0 आर0) का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन के क्रम में शासनादेश अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

उपरोक्त शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

<u>विषय संख्या : 14</u>

अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि पर स्थित 62 निर्माण/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकित प्रतिकर के साथ दिनांक 21.10.2008 तक ब्याज सहित भुगतान किये जाने तथा 10 अन्य लाभार्थी को विस्थापित कोटे के अन्तर्गत आवंटित निःशुल्क भूखण्ड की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

लाभार्थियों की Original संख्या में वृद्वि के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि पर स्थित 62 निर्माण/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकित प्रतिकर के साथ दिनांक 21.10.2008 तक ब्याज सहित भुगतान किये जाने तथा 10 अन्य लाभार्थी को विस्थापित कोटे के अन्तर्गत आवंटित निःशुल्क भूखण्ड की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण कर सुसंगत शासनादेशों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। इस प्रकरण का परीक्षण जिलाधिकारी लखनऊ से भी कराया जाये व जिलाधिकारी की रिपोर्ट भी अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

<u>विषय संख्या : 15</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालक (श्री राम निवास मौर्य एवं श्री सुनील यादव) को नियमित वेतनमान एवं उस पर समय–समय पर देय मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड–पे, भवन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, प्राधिकरण भत्ता, वाहन भत्ता एवं एन0पी0ए0 भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालक (श्री राम निवास मौर्य एवं श्री सुनील यादव) को नियमित वेतनमान एवं अन्य भत्ते दिये जाने विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में संम्बन्धित विभागों के शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये। प्रस्ताव नियमानुसार शासनादेशों के अनुसार न होने के कारण वित्त नियंत्रक को भविष्य में ऐसी गलती न होने की चेतावनी निर्गत करने के निर्देश दिये गये। यदि पूर्व की बोर्ड बैठक में इसी तरह का कोई प्रकरण शासनादेशों के विपरीत हुआ है, तो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण उसका भी परीक्षण कराकर सुधारात्मक कार्यवाही करें।

विषय संख्या : 16 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के अध्याय–12 में संशोधन के क्रम में शासनादेश अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : भवन उपविधि के अध्याय–12 में संशोधन के शासनादेश को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 17 कानपुर रोड योजना के सेक्टर–डी–1 के तलपट मानचित्र में कतिपय अनार्जित भूमि सम्मिलित करते हुए संशोधित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्णय : यह बताया गया कि मा0 समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया व मा0 समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त कानपुर रोड योजना के सेक्टर–डी–1 के तलपट मानचित्र में कतिपय अनार्जित भूमि सम्मिलित करते हुए संशोधित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में चूंकि प्रकरण मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन है, अतः मा0 अंकुश समिति का अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक प्रस्ताव स्थगित किये ज़ाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 18 श्री कुलदीप मेहरा पुत्र सेवाराम मेहरा (कृषका प्रोजेक्ट प्रा0लि0) को भूमि के एवज में मुआवजा दिलाये जाने सम्बन्धी प्रकरण को मण्डलायुक्त लखनऊ के पत्र संख्या–659/28–53(2017–18) दिनांक 07.12.2018 के संदर्भ में प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 07.05.2018 में विषय संख्या–18 पर हुए निर्णय के क्रम में पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव।

निर्णय : यह संज्ञान में लाया गया है कि प्रश्नगत भूमि का विक्रय 2017 में हो चुका है व इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचना शासन व मा0 समिति को भी दी गयी है अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री कुलदीप मेहरा पुत्र सेवाराम मेहरा (कृषका प्रोजेक्ट प्रा0लि0) को भूमि के एवज में मुआवजा दिलाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में भूमि के विनिमय (एक्सचेंज) का औचित्य न होने के सम्बन्ध में शासन व मा0 अंकुश समिति को कारण सहित सूचित किया जा चुका है और

चूंकि प्रकरण मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन है, अतः मा0 अंकुश समिति का अग्रिम आदेश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

<u>विषय संख्या : 19</u>

हाई–टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनीत मसर्स गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ में लखनऊ–रायबरेली रोड पर प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप की संशोधित कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 एवं प्रथम चरण के संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 शासन की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मे0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 परियोजना की डी0पी0आर0 एवं प्रथम चरण के संशोधित ले–आउट के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>विषय संख्या : 20</u>

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में नियोजित डिस्पेंसरी भूखण्ड के पुनर्नियोजित संशोधित मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सी.टी.सी.पी. द्वारा बोर्ड बैठक में दिये सुझाव के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में नियोजित डिस्पेंसरी भूखण्ड के पुनर्नियोजित मानचित्र पर निर्णय लिया गया कि डिंस्पेंसरी भूखण्ड को लैण्ड यूज के बारे में नियोजन विभाग का अभिमत प्राप्त कर डिस्पेंसरी एवं स्वास्थ्य सेवा के रूप में विक्रय करने पर विचार किया जाय।

<u>विषय संख्या : 21</u>

प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिये निर्धारित वार्षिक एवं मासिक, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों/प्रगति का विवरण।

<u>निर्णय :</u>

प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिये निर्धारित वार्षिक एवं मासिक, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों/प्रगति से सम्बन्धित प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया गया एवं निर्देश दिये गये कि भविष्य में पूर्ण एवं अद्यतन स्पष्ट विवरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

<u>विषय संख्या : 22</u>

शासनादेश संख्या–1106/9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/2001 दिनांक 01.03.2001 के बिन्दु संख्या–18 के अनुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली बिन्दुवार सूचनाएंः–

(क) प्राधिकरण की आय बढ़ाने तथा व्यय घटाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण।

(ख) प्राधिकरण सम्पत्ति का अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के सम्बन्ध में किए गये प्रयासों का विवरण।

(ग) प्राधिकरण की कितनी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है तथा उसे हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण।

(घ) महत्वपूर्ण शासनादेशों के अनुपालन की स्थिति।

निर्णय : शासनादेश संख्या–1106/9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/2001 दिनांक 01.03.2001 के बिन्दु संख्या–18 के अनुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत बिन्दुवार सूचनाओं का अवलोकन किया गया। इसमें भी सूचनाएं अद्यतन प्रस्तुत की जाय।

विषय संख्या : 23 होटल ख्वाब रिजार्ट प्रा0लि0, 19, माल एवेन्यू, लखनऊ को हैरिटेज होटल के रूप में प्रयोग किये जाने की अनापत्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त होटल ख्वाब रिजार्ट प्रा0लि0 (लेबुआ होटल), 19, माल एवेन्यू, लखनऊ हैरिटेज होटल के रूप में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यटन नीति के प्राविधानों में हैरिटेज होटल हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख न होने एवं नियोजित क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकरण होने के कारण प्रस्ताव में युक्ति–युक्त आधार स्पष्ट करते हुए प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन पर निर्णय हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य विषय : एजेण्डा में उल्लिखित उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर भी चर्चा हुई व निर्णय हुआ कि:–

(1) मे0 एण्डस टाउन प्लानर्स प्रा0लि0 द्वारा रेरा (RERA) के आदेश दिनांक 17.10.2018 का अनुपालन न करने के कारण डी.पी.आर. स्वीकृति का प्रस्ताव लम्बित है। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया कि मे0 एण्डस टाउन प्लानर्स प्रा0लि0 द्वारा रायबरेली रोड पर प्रस्तुत डी0पी0आर0 को स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विकासकर्ता स्तर से इस प्रकरण पर उ0प्र0 रेरा (RERA) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2018 का सम्पूर्ण अनुपालन कराकर डी.पी. आर. स्वीकृति एवं अस्वीकृति पर निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित एल0डी0ए0 स्तर की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की नीति के अन्तर्गत समितिको अधिकृत किया गया, जिसमें सचिव, ल0वि0प्रा0, मुख्य अभियन्ता, मुख्य नगर नियोजक एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 व जिलाधिकारी के प्रतिनिधि आदि सदस्य होंगे। डी0पी0आर0 स्वीकृति पर निर्णय से पूर्व, रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 के कम में पूर्व के आवंटियों को सुसंगत सूचनाओं से भी अवगत कराया जाय।

जिससे पूर्व आवंटियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सके। अभी तक विलम्ब का कारण विकासकर्ता द्वारा रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 का अनुपालन न करना है। विकासकर्ता को रेरा (RERA) के आदेश दिनांक 17.10.2018 के आदेश का अनुपालन करने का नोटिस दिया जाये। तत्पश्चात यदि विकासकर्ता द्वारा रेरा के आदेश का अनुपालन न किया जाये तो ऐसी स्थिति में 15 दिन के अन्दर रेरा (RERA) को रेफर करते हुए डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये, जिससे पूर्व आवंटियों का हक सुरक्षित रहे। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।

(2) लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो योजनायें नगर निगम को अभी तक हस्तान्तरित नहीं है, उनमें अनुरक्षण शुल्क लागू किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद को निर्देश दिये गये कि सफाई हेतु क्षेत्रवार अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाय। साथ ही उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 एवं सुसंगत नियमों के तहत परीक्षण कर इस विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रस्ताव का विधिक परीक्षण भी करा लिया जाय जिससे विधिक बिन्दु पर कोई अप्रिय स्थिति न हो।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

09/01/19
(एम0पी0 सिंह)
सचिव

9/1/19
(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(अनिल गर्ग) 09/1/19
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।